मालिकों और नौकरों के लिए काम पर चोट लगने और पेशे कि वजह से हुई बीमारीयों के हरजाने के सम्बन्ध मे महत्वपूर्ण सूचना ।

नौकरों को हरजाने का विधान

नौकरों को हरजाने का विधान (ई सी ओ), अध्याय २८२ जो हाँग काँग के कानून के मुताबिक समपूर्ण दिन काम करने वाले नौकर और कुछ समय काम करने वाले नौकरों पर हाँग काँग में लागू होता है, जो काम पर रहने पर लगी चोटों या मृत्यु के सम्बन्ध में है।

काम पर चोट लगना

- अगर किसी नौकर को नौकरी के दौरान किसी दुर्घटना से सम्बन्ध रखते हुए, चोटों से झेलना पढता है, या उसकी मृत्यु होती है, उसका मालिक साधारण तौर पर ई सी ओ के अधीन हरजाना भरनेका उत्तरदायी है ।
- किसी चोट पहुँचे हुए नौकर को दुर्घटना के बारे में जितनी भी जल्दी संभव हो सके अपने मालिक को सूचना देनी चाहिए ।
- किसी मालिक को श्रमिक विभाग को किसी भी काम पर हुई दुर्घटना के बारे में १४ दिन के बीच सूचना देनी चाहिए (७ दिन के बीच अगर स्थिति जीवघातक है) दुर्घटना के बाद ।

- एक नौकर, जो पेशावर बीमारी जिसे ई सी ओ में निश्चित की गयी है, के कारण असामर्थ होने का दुख भोगता है, वो सामान्य हरजाने और रक्षा का अधिकारी है।

<u>हरजाने का भुगतान</u>

१) बीमार होने पर छुट्टी की तनख्वाह:

काम पर चोट लगने के कारण बीमार होने पर छुट्टी के समय के दौरान, नौकर का अधिकार बनता है की उसे अपनी साधारण मासिक कमाई का ४/५ वाँ हिस्सा, जिसका भुगतान सामन्य तनख्वाह के दिनों पर किया जाना चाहिए ।

२) ढेर मूल का हरजाना:

अगर दुर्घटना कि वजह से चोट लगने पर नौकर स्थायी तौर पर निर्बल हो जाता है, तो उसका अधिकार है कि उसे ढेर मूल का हरजाना, जिसकी गिनती नौकर कि उम्र, मासिक कमाई और स्थायी तौर पर कमाने कि योग्यता खोने कि बातें ध्यान में रखी जाती हैं ;जिस तरह सटॉट्यूटरी नौकरों के हरजाने का दर ठहराने की प्रकि्या कि सभा मे निश्चित किया गया हो) । किसी मालिक को अपने नौकर को हरजाने की राशि, जिसे श्रमिक विभाग ने प्रमाणित किया है २१ दिनों के अंदर देनी चाहिए ।

३) चिकित्सा सम्बन्धी खर्चा:

अगर क्षतिकर नौकर की मुफ्त चिकित्सा बराबर और काफी नहीं होती, तो मालिक, नौकर के काम पर लगी चोटों के लिए चिकित्सा सम्बन्धी खर्चा देने का उत्तरदायी है, हालाकि हर दिन का अधिकतम दाम नीचे दी गयी राशि जितना होना चाहिए:-

अस्पताल में रहने पर मरीज की चिकित्सा या अस्पताल में न रहकर चिकित्सा करना	हॉग कॉग $300.00
अस्पताल में रहने पर मरीज की चिकित्सा और अस्पताल में न रहकर चिकित्सा करना, दोनो का उसी दिन पर होना	हॉग कॉग $370.00

<u>अनिवार्य बीमा</u>

मालिकों को आवश्यक है कि वो नौकरों के हरजानें का बीमा कराये जिससे उनका उत्तरदायित्व प्रयाप्त हो सके, जो ई स ओ और सार्वजनीक कानून के तहत नौकरों के काम के दौरान लगी चोटों के लिए है ।

<u>अगर कोई भी मालिक दुर्घटना की खबर देने से चूकता है, या बीमा निकालने से चूकता है, या हरजाना देने से चूकता है</u> नौकर को श्रमिक विभाग को फौरन खबर देनी चाहिए ।

दावें जिन्हें अदालत निश्चित करेगी

- ई सी ओ ने श्रमिकों के अधिकारी को हक नही दिया है कि वो विवाद वाले दावों पर फैसले के लिए पूर्नविचार करे। अगर मालिक और नौकर आपस में अपना विवाद श्रमिक विभाग कि सहायता से नहीं सुलझा सकता तो अदालत ही उनका दावा निश्चित करेगी।
- अदालत में नौकरों के हरजाने के दावे का निवेदन पत्र दुर्घटना की तारीख से २४ महिनों के बीच देना चाहिए । इसलिए किसी नौकर का मामला दुर्घटना की तारीख से १८ वें महीने के खत्म नहीं होने पर नहीं सुलझता, तो उस नौकर को जितनी भी जल्दी हो सके, श्रमिक विभाग से संपर्क करना चाहिए और उनकी सहायता लेनी चाहिए ।

नौकरी की रक्षा

कोई भी मालिक अपनी ईच्छा से अपने क्षतीकर नौकर को उसके नौकरी के ठेके से बेदखल नही कर सकता, जब तक श्रमिक विभाग योग्य प्रमाण पत्र नहीं प्रकाशन करता, या जब तक हरजाने का दावा नौकर के साथ सुलझ नहीं जाता।

अपराधी पर फौजदारी का मुकदमा

अगर कोई भी मालिक ई सी ओ कि शर्तों को जान बूझ कर तोडता है, तो श्रमिक विभाग नौकर की फौजदारी के मुकदमें में गवाह होने कि अनुमति लेने के बाद, उस मालिक के खिलाफ फौजदारी का मुकदमा करने के लिए सोच सकती है।

पूछ ताछ

- साधारण पूछ ताछ: २७१७ १७७१
- होम पेज का पता: **http://www.labour.gov.hk**
- नौकरों के हरजाना पाने के विभाग के जिले के दफतरों मे खुद जाकर पूछ ताछ की जा सकती है।

हॉग कॉग के दफ्तर (मामले जो हॉग कॉग और बाहरी द्वीप के हों)	१६ वी मंजिल, साउथहॉण सेंटर, १३० हेनसी रोड, हॉग कॉग
कौलून के दफ्तर (मामले जो कौलून और मामले जिन्में सरकारी नौकर शामिल हों)	१० वी मंजिल, चयुंग शा वान सरकारी दफतर, चयुंग शा वान रोड, कौलून
त्सयुन वान और क्वाय चुंग के दफ्तर (मामले जो त्सयुन वान, क्वाय चुंग और पश्चिमी न्यू टेरीटोरीस के हों)	६ ठी मंजिल, त्सयुन वान सरकारी दफतर, ३८ साई लऊ कौक रोड, त्सयुन वान, न्यू टेरीटोरीस
शाटीन के दफ्तर (मामले शाटीन और उत्तरी नयू टेरीटोरीस के हों)	२ री मंजिल, शाटीन सरकारी दफ्तर, १ श्युंग वो ची रोड, शा टीन, न्यू टेरीटोरीस
जीवघातक मामलों के दफ्तर	६ ठी मंजिल , हॊभर बिलडींग, ३८ पीयर रोड, सेंट्रल, हॉग कॉग

(यह पथप्रदर्शक सरल शब्दो में नौकरो के हरजाने के विधान (कैप. २८२) को स्थापित करता है। यह / ध्यान में रख़ना चाहिए कि यह विधान अपने आप में ही एक कानून कि शर्तो को समझाने का अकेला प्रमाण है।)